

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक—
सेवा में,

/14-1

दिनांक, हरदोई,

23-03-2017।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०,
क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतास 'के'
ट्रीडेन्ट द्वितीय तल, 10 महाराणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय:— जनपद—हरदोई में हरदोई—लखनऊ (राजमार्ग संख्या—25) कि०मी० 161—224 व हरदोई—साण्डी मार्ग कि०मी०—0 से 22.50 तक कुल दूरी 85.50 कि०मी० के मध्य रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा संरक्षित मार्ग पटरी पर 0.90 हे० वन भूमि पर ओ०एफ०सी० बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— 1— इस कार्यालय पत्रांक—2709/14-1, दिनांक—13-02-2017।
2—इस कार्यालय पत्रांक—4020/14-1, दिनांक—16-03-2017।

महोदय,

इस कार्यालय द्वारा निर्गत उक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करे, जो क्षेत्रीय वन अधिकारी, हरपालपुर, हरदोई, कछौना व सण्डीला को सम्बोधित एवं आप सहित अन्य को पृष्ठांकित है। सन्दर्भित पत्रों द्वारा आनलाइन प्रस्ताव 23622/2017 में उल्लिखित ओ०एफ०सी० बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित स्थलों का संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी, हरपालपुर व हरदोई के साथ दि०—17-03-2017 को की गयी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, रेज कछौना व सण्डीला से सम्बन्धित रिपोर्ट अभी भी इस कार्यालय को अप्राप्त है।

आनलाइन प्रस्ताव सं० 23622/2017 में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमें निम्न कमियाँ पायी गयीं:—

- 1— अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट फार्म (क) भाग—1 आफलाइन प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
- 2—उ०प्र० शासन, की पत्र सं०—3544/14-2-2008 वन अनुभाग—2 दिनांक—23-08-2008 के अनुपालन में वन प्रभाग आगरा को 20 कि०मी० की दूरी वृक्षा० रोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सम्बन्धित पत्र, बैकड्राफ्ट व प्राक्कलन की प्रति अपठनीय है।
- 3— ओ०एफ०सी० बिछाये जाने से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- 4— वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- 5— प्रस्तावित ओ०एफ०सी० लाइन जिस ग्रामों से होकर गुजर रही है, सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- 6— प्रस्ताव में संलग्न वचनबद्धता प्रमाण पत्र में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पद नाम, कार्यालय का पता का उल्लेख नहीं है।
- 7— प्रस्ताव में संलग्न ओ०एफ०सी० से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस प्रमाण पत्र की प्रति अपठनीय है।

8- प्रस्तावित स्थल का भू-सन्दर्भित डिजिटल डाटा मानचित्र में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पद नाम, कार्यालय का पता का उल्लेख नहीं है।

9- सर्वे ऑफ इण्डिया के टोपो सीट स्केल 1:50000 पर प्रस्तावित स्थलों को दर्शाते हुए मानचित्र में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पद नाम, कार्यालय का पता का उल्लेख नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त कमियों का निराकरण कर साथ ही साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी, कछौना व सण्डीला के साथ प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,

सामाIO वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

पत्रांक-4099/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी, सण्डीला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वन अधिकारी, कछौना व सण्डीला को सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्तावक विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

प्रभागीय निदेशक,

सामाIO वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

o/c